

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

पंकज कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना
महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना
प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 02.08.2018

विषय:- बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि के व्यय के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बिहार विनियोग(संख्या-3) विधेयक, 2018 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक: 31.07.2018 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि विभाग ने बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2018 (**बिहार अधिनियम 10, 2018**) को अधिसूचना संख्या-एल0जी0-01-10/2018/लेज: 75 एवं 76 (अंग्रेजी अनुवाद) दिनांक: **02.08.2018** द्वारा अधिसूचित किया है, जिसे बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या- 746, दिनांक-02.08.2018 से प्रकाशित किया गया है।

2. बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या- 746 दिनांक-02.08.2018 की पाँच प्रतियाँ, प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं 35 प्रतियाँ महालेखाकार, ले0 एवं हक0 को तथा सभी विभागों को एक-एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

3. उपर्युक्त के आलोक में 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सीधे अनुसूची के माध्यम से खण्ड-1 भाग-1 में पृष्ठ सं0-1 से 149 तक में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय किया जा सकता है। राशि का व्यय बिहार गजट की अनुसूची में प्रदर्शित प्रत्येक मांग/विनियोग के लिए राजस्व एवं पूंजी के अधिकतम राशि तक ही किया जा सकता है। अगर कोई नये उपशीर्ष में राशि प्रावधानित की गयी हो तो उस उपशीर्ष से राशि का व्यय महालेखाकार से उक्त उपशीर्ष के खोलने संबंधी सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना है।

4. वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण पुस्तिका की प्रति विभागों एवं प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को पत्रांक: 638 दिनांक: 20.07.2018 द्वारा पूर्व में हीं प्रेषित किया जा चुका है।

5. प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी से संबंधित गजट को बिहार गजट के वेबसाईट <http://egazette.nic.in/> पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-75/2018(खण्ड) 662/वि0 पटना, दिनांक: 02.08.2018

प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री के सचिव/मंत्री, वित्त विभाग के आप्त सचिव /लोकायुक्त के सचिव/सचिव, राजस्व पर्षद/महानिरीक्षक, कारा, गृह विभाग/राज्य सूचना आयोग के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के सचिव को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-75/2018(खण्ड) 662/वि0 पटना, दिनांक: 02.08.2018

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-75/2018(खण्ड) 662/वि0 पटना, दिनांक: 02.08.2018

प्रतिलिपि- निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, श्रम निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक, पुरातत्व निदेशालय/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय/निदेशक, मत्स्य निदेशालय/निदेशक, पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं


प्रशिक्षण परिषद्/निदेशक, सामाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग/निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि विभाग/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/निदेशक, सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, अभिलेखाकार/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य-कर न्यायधिकरण/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-75/2018(खण्ड) 662/वि0 पटना, दिनांक: 02.08.2018


प्रतिलिपि- अभिलेखागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधान सभा पुस्तकालय/अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् पुस्तकालय को बिहार गजट की 5-5 प्रतियाँ अभिलेख संधारण हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-75/2018(खण्ड) 662/वि0 पटना, दिनांक: 02.08.2018


प्रतिलिपि- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन/अपर सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, वित्त शाखा-4 एवं 5/ विशेष सचिव, प्रभारी शाखा-10/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गवर्नेन्स कोषांग/अपर सचिव, कोषागार शाखा/अपर सचिव, स्थापना/अपर सचिव, लेखा शाखा/ उप सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो/ निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के आप्त सचिव/सचिव (संसाधन) एवं (व्यय), वित्त विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, शाखा-10, 13 एवं 4 को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-75/2018(खण्ड) 662/वि0 पटना, दिनांक: 02.08.2018

प्रतिलिपि- स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द्र पटेल मार्ग, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी